



अनुपयोगी रद्दी कागज विक्रय हेतु निविदा

वर्ष 2024 –25

निविदा फार्म का मूल्य :- 1000.00
वि.वि. रसीद क्रमांक (यदि हो तो) –
रसीद दिनांक (यदि हो तो) –

2/2/25

dem

venny



शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

क्र. /529/भण्डार/गोप. 93/2024-25, जगदलपुर, दिनांक -18/03/2025

अंशित निविदा विज्ञापन

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर की अनुपयोगी रद्दी कागजात विक्रय हेतु ईच्छुक फर्मो/संस्थाओं से सीलबंद निविदा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/पी. एण्ड टी. अधिकृत कोरियर से दिनांक **08/04/2025** के सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, प्राप्त निविदाओं को दिनांक **09/04/2025** को पूर्वान्ह 11.30 बजे से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में खोला जायेगा। प्रपत्र, धरोहर राशि, नियम -शर्तें इत्यादि की जानकारी हेतु कृपया विश्वविद्यालय का वेवसाईट www.smkvbastar.ac.in का अवलोकन करें।

कुलसचिव

यजस्क

Lus

A

venms

अनुपयोगी रद्दी कागजात विक्रय निविदा 2024 –25

निविदा सूचना क्रमांक 529, दिनांक. – 18/03/2025

(टेक्निकल बीड हेतु)

प्रति,

कुलसचिव,
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला – बस्तर (छ.ग.)

विषय :- अनुपयोगी रद्दी कागजात क्रय हेतु निविदा प्रस्तुत करने विषयक।
महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा क्रमांक क्र. 529/भण्डार-सा. प्रशा./श.म.क.वि.वि./2024-25, जगदलपुर, दिनांक 18/03/2025 के संबंध में निम्नानुसार चाही गई जानकारी संबंधित दस्तावेज सहित संलग्न कर प्रस्तुत है:-

1. निविदाकर्ता का नाम एवं पूरा पता :
2. फर्म मालिक/प्रतिनिधि का नाम एवं पूरा पता
3. धरोहर राशि (₹ 25,000 =00 का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक, बैंक का नाम, जारी दिनांक का उल्लेख करें)
4. प्रपत्र फॉर्म (₹ 1,000 =00 का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक, बैंक का नाम, जारी दिनांक)
5. पेन कार्ड की छायाप्रति
6. गुमास्ता का वैद्य जीवित पंजीयन क्रमांक (संलग्न- पृष्ठ क्रमांक
7. पिछले तीन वित्तीय वर्ष का टर्न ओवर प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति
8. फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
9. नियम –शर्त कंडिका 16 के अनुसार मूल वचन/शपथ/प्रमाण पत्र (संलग्न- पृष्ठ क्रमांक
10. फर्म किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कालीसूची में नामजद है तो उस संस्था का उल्लेख करें, (इस बाबत शर्त की कंडिका 16 के शपथ पत्र में उल्लेख किया जाये एवं आदेश हो तो संलग्न करें) (संलग्न- पृष्ठ क्रमांक

निविदाकर्ता का नाम

हस्ताक्षर

मोहर

स्थान एवं दिनांक

मोबाईल नम्बर

यज४४

Lam

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा-2, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत, पिनकोड 494001

अनुपयोगी रद्दी कागजात विक्रय निविदा प्रपत्र

// निविदा की सामान्य नियम तथा शर्तें //

- 1- निर्धारित समय तक निविदा पूर्ण रूप से बंद लिफाफे में विश्वविद्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। निविदा रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/पी.एण्ड टी. अधिकृत कोरियर द्वारा ही स्वीकृत किया जायेगा। किसी भी कारण से विश्वविद्यालय में निविदा लिफाफा प्राप्ति में विलम्ब होने पर जवाबदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी। विलम्ब से प्राप्त निविदायें नहीं खोली जायेगी तथा प्रक्रिया उपरांत मूलतः निविदाकर्ता को वापस कर दिया जायेगा।
- 2- निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर लगाकर हस्ताक्षर करना होगा, जो कि निविदा सहित प्रेषित किया जाना होगा। निविदा प्राप्ति का यह अर्थ होगा कि निविदा प्रेषक/फर्म को विश्वविद्यालय के सभी शर्त, नियम तथा कंडिकाएँ मान्य हैं।
- 3- निविदा के मुख्य लिफाफा के भीतर दो लिफाफे भरे जायें, **प्रथम लिफाफे** के उपर टेक्निकल बीड लिखा जाये, जिसमें प्रपत्र राशि, धरोहर राशि तथा निविदा प्रपत्र सहित चाही गई सभी दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जावे, सर्वप्रथम इस लिफाफे को खोला जावेगा।
- 4- **द्वितीय लिफाफा** के उपर फाईनेंसियल बीड लिखा गया हो, जिसमें दर अनुसूची की स्वच्छ एवं स्पष्ट अक्षरों में पूर्ति कर भरा जाये। पात्र पाये गये फर्मों की फाईनेंसियल बीड के लिफाफे खोले जायेंगे।
- 5- वेबसाईट से प्राप्त निविदा प्रपत्र के साथ प्रपत्र की राशि रु. 1000 =00 (एक हजार) एवं धरोहर राशि रु. 25,000 =00 (पच्चीस हजार) का भारतीय स्टेट बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंक से निर्मित वैद्य तिथि का अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रपत्र राशि एवं धरोहर राशि के अभाव में निविदा में विचार नहीं किया जायेगा। उक्त दोनों डिमांड ड्राफ्ट "कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर" के नाम से देय हो।
- 6- प्रपत्र राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा किया जायेगा, जो कि वापसी योग्य नहीं है। सफल निविदाकार की धरोहर राशि को विश्वविद्यालय कोष में जमा किया जायेगा तथा सफल एवं संतोषजनक विक्रय एवं अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत (ब्याजरहित) धरोहर राशि वापस की जायेगी किंतु विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से असंतोषप्रद व्यवहार करने पर/नियत समय में सामग्री का पूर्ण उठाव नहीं करने पर धरोहर राशि विश्वविद्यालय के पक्ष में राजसात की जायेगी, जो कि वापसी योग्य नहीं होगा। असफल निविदाकारों की धरोहर राशियां स्वीकृत फर्म से अनुबंध उपरांत वापस कर दी जायेगी।

2/2/25

2/2/25

2/2/25

2/2/25

- 7- सफल निविदाकार को विश्वविद्यालय के द्वारा उल्लेखित समय के भीतर विश्वविद्यालय से अनुबंध करना होगा। इस हेतु विश्वविद्यालय में फर्म के पक्ष में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त संचालक को रू. 100 =00 (एक सौ) के गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर एवं मोहर के साथ अनुबंध एवं नोटराईज्ड करने हेतु विश्वविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है।
- 8- पूर्व में विश्वविद्यालय में किसी अन्य प्रयोजन हेतु धरोहर राशि/जमा राशि/देयक की राशि निविदा के मांग अनुसार प्रपत्र या धरोहर राशि में समायोजित नहीं किया जायेगा।
- 9- विश्वविद्यालय के निविदा की शर्त अनुसार दिये गये समय सीमा के भीतर विश्वविद्यालय में "जहां है, जैसी है" स्थिति से पूर्ण अनुपयोगी रद्दी कागजात को उटाकर विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार से बाहर किसी भी वैद्य कागज मिल को पल्प तैयार करने हेतु विक्रय किया जायेगा एवं कागज मिल द्वारा विश्वविद्यालय के अनुपयोगी रद्दी कागज का उपयोग पल्प तैयार में किया जायेगा, इस शर्त का पालन फर्म को करना अनिवार्य होगा। अन्य अनुपयोगी सामग्रियों को क्रेता द्वारा अनुचित एवं गैरकानूनी उपयोग के प्रयोजन में नहीं लाया जायेगा।
- 10- टेक्निकल बीड के अनुसार समस्त प्रपत्र निर्धारित क्रम में संलग्न किया जाये। जिसमें कागज का पलेग लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित हो, उक्त पृष्ठ का नम्बर टेक्निकल बीड के मुख्य पृष्ठ में लिखा जाये।
- 11- फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में वार्षिक टर्न ओवर रू. 15. 00 (पन्द्रह लाख) औसतन होना चाहिए।
- 12- क्रेता फर्म को रद्दी कागजातों का तौल इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा में विश्वविद्यालय द्वारा गठित नापतौल-निगरानी समिति के समक्ष एवं मार्गदर्शन में करनी होगी। प्रथमतः खाली वाहन का वजन तथा रद्दी भरने के बाद भरे वाहन का वजन समिति के समक्ष कराना होगा। खाली तथा भरे वाहनों के वजन के अंतर की राशि फर्म द्वारा समिति के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा किया जायेगा। लोडिंग- अनलोडिंग, धर्मकांटा इत्यादि का शुल्क फर्म द्वारा देय होगा। इस हेतु प्रक्रिया नापतौल-निगरानी समिति के निर्देशानुसार किया जायेगा।
- 13- क्रेता फर्म को अनुपयोगी अन्य सामग्रियों का उठाव विश्वविद्यालय द्वारा गठित नापतौल-निगरानी समिति के समक्ष/मार्गदर्शन में करनी होगी। क्रेता के द्वारा सामग्रियों को उठाने के समय कोई कागजात यदि कम/क्षतिग्रस्त/खराब पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दरों में कमी नहीं किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सामान ले जाने के पूर्व विश्वविद्यालय कोष में इसकी सम्पूर्ण राशि जमा करेगी। लोडिंग- अनलोडिंग इत्यादि का शुल्क फर्म द्वारा देय होगा। इसकी प्रक्रिया नापतौल-निगरानी समिति के निर्देशानुसार किया जायेगा।
- 14- इस कार्य के दौरान, किसी भी स्तर में दुर्घटना, चोरी, प्राकृतिक घटना से जन-धन की हानि होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति फर्म द्वारा विश्वविद्यालय को देय होगा।







- क्षतिपूर्ति का आंकलन विश्वविद्यालय द्वारा तीन या उससे अधिक सदस्यीय समिति बनाकर किया जायेगा, इस समिति का निर्देश फर्म को भी मान्य होगी।
- 15- सभी सामग्रियों का उठाव एवं तौलाई कार्यालयीन दिवस या समय में ही निगरानी समिति के समक्ष किया जायेगा। यदि नापतौल निगरानी समिति चाहे तो अवकाश दिवस में भी अथवा यथा-समय उक्त सामग्रियों का उठाव करवा सकेगी।
 - 16- निविदाप्रस्तुतकर्ता को निविदा के साथ रु. 50/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें क्रेता फर्म द्वारा "विश्वविद्यालय से क्रय की जाने वाली समस्त अनुपयोगी रद्दी कागजों, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं, परीक्षा आवेदन पत्र, अनुपयोगी प्रपत्र, अनुपयोगी पाठ्यक्रम-कागजात, अखबार, कतरन, मलाट इत्यादि का विक्रय विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कागज निर्माण करने वाली मिल/कम्पनी को ही पल्प तैयार करने" हेतु उल्लेख किया जायेगा। साथ ही किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कालीसूची में नामजद होने/नहीं होने संबंधी विवरण भी उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित किया जाये। शपथ पत्र की अनुपलब्धता से फर्म का निविदा अमान्य किया जा सकता है।
 - 17- विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि इस निविदा को कभी भी, किसी भी स्तर में, बिना कारण बताये, एकपक्षीय निरस्त कर सकेगा अथवा किसी भी वाक्य/शब्द में कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण करने अथवा विश्वविद्यालय पुनः निविदा जारी करने हेतु स्वतंत्र होगा।
 - 18- सफल निविदाकार एवं विश्वविद्यालय के बीच अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध की वैधता, अनुबंध तिथि से 01 वर्ष के लिए होगा। संतोषजनक विक्रय एवं फर्म के संचालक/वर्करो का उचित व्यवहार रहने की स्थिति में एवं फर्म तथा विश्वविद्यालय अर्थात् पक्षों की आपसी सहमति से (अनुबंध तिथि समाप्ति से) पुनः आगामी 06 माह के लिए अनुबंध/विक्रय की तिथि में वृद्धि की जा सकती है।
विशेष परिस्थिति में स्वीकृत दर पर प्रतिवर्ष 10% की मूल्यवृद्धि मान्य की जायेगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष विक्रय मूल्य में क्रमशः 10% की वृद्धि करते हुये पुनः 1 वर्ष के लिए अनुबंध अवधि वृद्धि की जा सकेगी। अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद अधिकतम 45 दिवस के भीतर उक्ताशय की सूचना जारी किया जा सकेगा।
 - 19- इस विषय पर किसी फर्म से एक या उससे अधिक निविदाएँ प्राप्त होने पर उसके सभी निविदाएँ अमान्य किये जा सकते हैं।
 - 20- विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही निविदा प्रपत्र/फाईनेंसियल बीड में निविदाकर्ता द्वारा स्वच्छ, स्पष्ट, बिना कांट-छांट के दरें भरी जावें। प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों, छायाप्रतियों में निविदाप्रस्तुतकर्ता संचालक के वैद्य हस्ताक्षर, दिनांक, मोहर अंकित होना चाहिए।
 - 21- अंको एवं दरों में भिन्नताएँ पाये जाने पर अंकों का लेख मान्य किया जा सकेगा।
 - 22- निविदा प्रेषक का कोई भी नियम या शर्त विश्वविद्यालय को मान्य नहीं होगा।

20/8/25

20/8/25

20/8/25

20/8/25

- 23- अधिकांश सामग्रियों में न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता को शेष अन्य सामग्रियों में उल्लेखित न्यूनतम दर पर सामग्री का उठाव करने हेतु सहमति ली जायेगी। यदि वे सहमत नहीं होंगे तो अलग-अलग फर्मों से विक्रय हेतु अनुबंध किया जा सकता है, किंतु इस हेतु निर्णय उक्त बैठक में समिति द्वारा लिया जायेगा।
- 24- निविदा खोलने का समय तथा दिनांक विश्वविद्यालय के सुविधानुसार परिवर्तनीय होगा। उक्त बैठक में निविदाकार के अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक (कोई एक) उपस्थित रह सकते हैं, किन्तु इस हेतु उपस्थित व्यक्ति को विश्वविद्यालय के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बैठक हेतु उपस्थित व्यक्ति को फर्म के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अधिकार पत्र, आधार कार्ड/पैन कार्ड/झाईविंग लाईसेंस/मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विक्रय समिति से दुर्व्यवहार करने की स्थिति में उपस्थित प्रतिनिधि/संचालक को बैठक से बाहर किया जा सकेगा। बैठक में उपस्थित फर्म के व्यक्ति मोबाईल स्वीच ऑफ रखेंगे।
- 25- निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय से रद्दी कागज उठाने से कम से कम एक दिवस पूर्व एवं वाहन में लोड करने से पूर्व अनुमानित लागत का कम से कम 50% या उससे अधिक राशि का अग्रिम भुगतान किया जाना होगा, शेष राशि का भुगतान लोड वाहन के तौल उपरांत किया जाना अनिवार्य होगा। फर्म को यह ध्यान रखना होगा कि समस्त सामग्रियों के सम्पूर्ण राशि का भुगतान होने के बाद ही वाहन गंतव्य के लिए रवाना होगी।
- 26- विश्वविद्यालय के समस्त रद्दी कागजातों को विक्रयादेश में दिये गये समय सीमा के भीतर फर्म को क्रय कर उठाना होगा। विलम्ब करने पर निविदा शर्तों/अनुबंध कंडिकाओं के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- 27- अनुबंध वैधता की तिथि में एक या उससे अधिक बार यथासमय विक्रयादेश दिया जा सकेगा। सामग्री उठाने में विलम्ब करने की स्थिति में धरोहर राशि विश्वविद्यालय कोष में राजसात की जा सकती है।
- 28- विश्वविद्यालय किसी भी अनुपयोगी रद्दी कागजात के विक्रय की मात्रा में कमी, वृद्धि कर सकती है या विक्रय से मना कर सकती है। स्वीकृत फर्म को विश्वविद्यालय के किसी भी भवन एवं कक्ष से "जहां है, जैसी है" स्थिति में उपलब्ध समस्त रद्दी कागजातों का उठाव करना होगा।
- 29- नियम -शर्तों को विश्वविद्यालय के हित में कभी भी और किसी भी स्तर में शिथिल/परिवर्तित/विलोपित करने का सम्पूर्ण अधिकार माननीय कुलपति, शहीद महेद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का होगा, जो कि निविदा प्रस्तुतकर्ता समस्त फर्मों को मान्य होगा। यह न्यायालयीन परिधि से बाहर होगा। किसी भी वाक्य, शब्द के संबंध में माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
- 30- न्यायालयीन प्रक्रिया जिला न्यायालय, जगदलपुर के क्षेत्रांतर्गत ही स्वीकृत होगा।

मैं /हम फर्म

के लिए इस निविदा के समस्त नियम एवं शर्तों की कंडिका 01 से 30 तक के अक्षरक्षः पालन करने बाबत पूर्णतः सहमति तथा स्वीकृति देता/देती हूँ। मुझे, मेरे फर्म की ओर से समस्त कंडिकाएँ पूरी तरह से मान्य है।

(नाम, हस्ताक्षर, दिनांक, स्थान, मोहर)

.....
.....

युज्ज

Lans

venms

// घोषणा पत्र //

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि विश्वविद्यालय के अनुपयोगी रद्दी कागजात विक्रय निविदा क्रमांक क्र. 529/भण्डार- सा. प्रशा./श.म.क.वि.वि./2024-25, जगदलपुर, दिनांक 18/03/2025 के समस्त नियम, शर्तें, कंडिकाओं को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मुझे/हमें और हमारी फर्म/संस्था के लिए विश्वविद्यालय की समस्त नियम, शर्तें, कंडिकायें मान्य एवं बंधनकारी हैं। हमारे द्वारा विश्वविद्यालय के मांग अनुसार समस्त वांछित प्रपत्र एवं दस्तावेजों की प्रमाणित, हस्ताक्षरित छायाप्रति एवं वैद्य डिमांड ड्राफ्ट निविदा में संलग्न कर दिया है। निविदा सहित प्रस्तुत कोई भी जानकारी अस्पष्ट, अपुष्ट, भ्रामक या असत्य नहीं है। फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में किसी प्रकार की अस्पष्टता तथा कांट-छांट नहीं किया गया है।

मुझे और मेरे फर्म को शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर की समस्त लिखित एवं मौखिक नियम, शर्तें, निर्देश, कंडिकायें अक्षरशः एवं पूर्णतः मान्य हैं।

निविदाकर्ता का नाम

हस्ताक्षर

मोहर

स्थान

दिनांक -

2/3/25

Sam

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा-2, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत, पिनकोड 494001
Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001
Telephone 07782-229037, Fax 07782-229037 Website: www.smkvbstar.ac.in

निविदा क्रमांक क्र. 529, दिनांक 18/03/2025

अनुपयोगी रद्दी कागजात का विक्रय 2024 -25

मूल्य-सूची (फाईनेंसियल बीड)

| क्र. | अनुपयोगी कागजात का प्रकार | मूल्य (प्रति किलो ग्राम की दर से) समस्त कर सहित | |
|------|---|---|--------------|
| | | (अंकों में) | (शब्दों में) |
| 1- | अनुपयोगी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएँ | | |
| 2- | पुराने अनुपयोगी परीक्षा आवेदन पत्र/पाठ्यक्रम | | |
| 3- | पुराने अनुपयोगी समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, प्रश्न पत्र | | |
| 4- | पुराने अनुपयोगी लिफाफे (खुले बंद लिफाफे) कागज | | |
| 5- | पुराने अनुपयोगी अन्य रद्दी कागज, कतरन, मलाट इत्यादि | | |

निविदाकर्ता का नाम

हस्ताक्षर

मोहर

दिनांक

स्थान

युनिक

Leam

Went